झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–80 / 2020

केदार ठाकुर .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री एच0के0 शिकरवार, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए: ए0पी0पी0।

आदेश संख्या 02 दिनांक 16 जनवरी, 2020

याचिकाकर्त्ता की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान अधिवक्ता को सुना।

याचिकाकर्त्ता टाटीझरिया थाना काण्ड संख्या 43 / 2014 (जी0आर0 संख्या 3523 / 2014) में एक अभियुक्त है।

यह आरोप लगाया गया है कि सूचक को रास्ते में रोका गया और नकद, मोबाइल और मोटरसाईकिल को लूट लिया गया।

याचिकाकर्त्ता को सह–अभियुक्त सुरेश राम के कबुलनामे पर फंसाया गया है जिसे पहले ही विचारण न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि

कोई पहचान पैरेड नहीं किया गया है। याचिकाकर्त्ता दिनांक 20.09.2019 से अभिरक्षा में है।

उपरोक्त अभिरक्षा अवधि के संबंध में, याचिकाकर्त्ता को 10,000/– रूपये (दस हजार) के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, हजारीबाग की संतुष्टि पर, टाटीझरिया थाना काण्ड संख्या 43/2014 में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)